न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 68/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 22.08.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रामदेव आत्मज स्व0 गोबरिया जाति मीणा निवासी ग्राम बड़गांव तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।
2. शान्तिबाई पुत्री स्व0 गोबरिया पत्नी हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना तहसील तालेड़ा जिला बूंदी।
3. ज्यानी बाई पुत्री स्व0 गोबरिया पत्नी लटूर जाति मीणा निवासी ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद, जिला कोटा
4. गीताबाई पुत्री स्व0 गोबरिया पत्नी श्री मोडूलाल जाति मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तह0 तालेड़ा, जिला बूंदी।
5. बद्रीबाई पुत्री स्व0 गोबरिया पत्नी रमेश जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी।
6. छोटी बाई पुत्री स्व0 गोबरिया पत्नीद बंशीलाल मृतक जरिये कायम मुका0

6/1–मनीषा पुत्री बंशीलाल जाति मीणा निवासी झाडगांव।
6/2–रंजत पुत्री बंशीलाल जाति मीणा निवासी दीगोद।

7 रामनाथ आत्मज स्व0 गोबरिया मृतक जरिये कायम मुका0

7/1 इन्द्राबाई पत्नी स्व0 रामनाथ
7/2 राकेश आत्मज स्व0 रामनाथ
7/3 दिनेश आत्मज स्व0 रामनाथ
7/4 बृजेश आत्मज स्व0 रामनाथ
7/5 अशोक आत्मज स्व0 रामनाथ
7/6 धीरेन्द्र आत्मज स्व0 रामनाथ
जाति मीणा निवासीगण ग्राम बड़गांव तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

8 रामदयाल आत्मज स्व0 सुरज्या जाति मीणा
9 शम्भूदयाल आत्मज स्व0 सुरज्या
10 भगवान आत्मज स्व0 सुरज्या
ग्राम बड़गांव तहसील लाड़पुरा जिला कोटा
11 कन्या बाई पुत्री स्व0 सुरज्या पत्नी किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम संवर तहसील तालेड़ा जिला बूंदी
12 जमना बाई पत्नी स्व0 सुरज्या जाति मीणा निवासी ग्राम बड़गांव तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0

...अपीलाट्स

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।
2 नगर विकास न्यास कोटा जर्ये सचिव, कार्यालय सी.ए.डी सर्कल के पास कोटा राज0

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तेजमल जैन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शम्भूदयाल विजय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:::निर्णय:::

दिनांक 19.02.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 315/06 (प्रा0 पत्र) बउनवान रामदेव वगै बनाम सरकार आदि मे पारित निर्णय दिनांक 20.07.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है अपीलार्थी द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण के पूर्वज गोबरिया व सूरज्या पिसरान गोप्या जाति मीणा के खाते में ग्राम नांदना उर्फ बड़गांव तह लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 248 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म बारानी चाहरूम दर्ज थी। गोबरिया व सूरज्या की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 7 उनके विधिक उत्तराधिकारी है तथा प्रार्थीगण क्रम 8 लगायत 12 स्व0 सूरज्या के विधिक उत्तराधिकारी है। सेटलमेंट विभाग द्वारा पुराने नंबर 248 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा (3.42 है0) ग्राम नांदना के नये खसरा नं0 494 रकबा 2.06 है0, 498 रकबा 0.26 है, 499 रकबा 0.19 है0 500 रकबा 0.39 है0 व खसरा नं0 502 रकबा 0.50 है0 बनाया गया है। खसरां न. 494 2.06 है0 498 रकबा 0.26 है, 499 रकबा 0.19 है0 कुल रकबा 2.51 है0 प्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर दिया मगर खसरा 500 रकबा 0.1 है0 501 रकबा 0.39 है0 व खसरा नं0 502 रकबा 0.50 है0 कुल रकबा 0.90 प्रार्थीगण के खाते में सेटलमेंट विभाग द्वारा कम दर्ज कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को निर्णय दिनांक 20.07.2015 से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथ विपरीत हैं। सेटलमेंट के पश्चात प्रार्थीगण के खाते में केवल मात्र 494 की 2.06 है0, 498 की 0.26 है0 व 499 की 0.19 है0 कुल 3 किता 2.51 है0 भूमि ही दर्ज की तथा शेष भूमि खसरा नं0 500 की 0.01, 501 की 0.39 तथा 502 की 0.50 है0 कुल 0.90 है0 भूमि सिवायचक दर्ज कर राज्य सरकार (जिला कलक्टर) द्वारा नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित कर दी, इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा अनाधिकृत तौर पर प्रार्थीगण की 0.90 है0 भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज न कर सिवायचक दर्ज कर दी, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रस्तुत कर अधीनस्थ स्पष्ट वर्णित किया है कि खसरा नं0 500, 501 व 502 गत खसरा नं0 248 से ही बने हैं तथा इन खसरा नंबरान को प्रार्थीगण के खाते में दर्ज करने से प्रार्थीगण के कमी रकबे की पूर्ती हो सकती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह आलेखित कर दिया कि उक्त खसरा नंबरान नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज हो चुके है, इस कारण खातेदारों की भूमि पूर्ति कहां से की जावे यह तथ्य सिद्ध नहीं कर पाये है, जिसके आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय यह मानता है कि अपीलार्थीगण की भूमि सिवायचक दर्ज की जाकर नगर विकास न्यास के नाम दर्ज कर दी गई है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नगर विकास न्यास के खाते की उक्त भूमि हटाकर पुनः प्रार्थीगण के खाते दर्ज करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर प्रार्थना–पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 500, 501 व 502 की 0.90 है0 भूमि नगर विकास न्यास कोटा के खाते से हटाई जाकर पुनः प्रार्थीगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा मेरे खाते मे कम दर्ज की है। पुराने ख0 नं0 248 की 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि खाते मे दर्ज थी जिसके 3.42 है0 होते है। पुराने ख0 नं0 नंबर 248 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नं0 494 रकबा 2.06 है0, 498 रकबा 0.26 है, 499 रकबा 0.19 है0 500 रकबा 0.39 है0 व खसरा नं0 502 रकबा 0.50 है0 तथा खसरां न. 494 रकबा 2.06 है0 498 रकबा 0.26 है, 499 रकबा 0.19 है0 कुल रकबा 2.51 है0 अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज कर दिया किन्तु खसरा 500 रकबा 0.1 है0 501 रकबा 0.39 है0 व खसरा नं0 502 रकबा 0.50 है0 कुल रकबा 0.90 है0 रकबा अपीलार्थीगण के खाते में सेटलमेंट विभाग द्वारा कम कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। बहस मे यह भी बताया कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नं0 500, 501 व 502 गत खसरा नं0 248 से ही बने हैं तथा इन खसरा नंबरान को अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज करने से कमी रकबे की पूर्ती की जा सकती है। उक्त तथ्य को अपीलार्थीगण द्वारा रिकार्ड से भी साबित कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही कर आलौच्य पारित कर वर्णित किया कि उक्त खसरा नंबरान नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज हो चुके है, इस कारण खातेदारों की भूमि पूर्ति कहां से की जावे यह तथ्य सिद्ध नहीं कर पाये है, जिसके आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय यह मानता है कि प्रार्थीगण की भूमि सिवायचक दर्ज की जाकर नगर विकास न्यास के नाम दर्ज कर दी गई है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नगर विकास न्यास के खाते की उक्त भूमि हटाकर पुनः अपीलार्थीगण के खाते दर्ज करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती से संबधित नही है। सक्षम न्यायालय मे दावा पेश कर अपने हक हकूको का निर्धारण करावे। धारा 136 एलआरएक्ट मे दोनो पक्षो की आपसी सहमति के आधार पर ही लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है, डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है एवं डिले कन्डोन करने के संबंध में न्यायिक उद्धरण RRT 2018(1) पेज नं0 601 एवं RRT 2018(2) पेज नं0 801 पेश किए। रेस्पो0 ने अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा अपीलार्थीगण के खाते मे पुराने ख0 नं0 248 की 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज थी जिसके 3.42 है0 होते है। पुराने ख0 नं0 नंबर 248 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नं0 494 रकबा 2.06 है0, 498 रकबा 0.26 है, 499 रकबा 0.19 है0 500 रकबा 0.39 है0 व खसरा नं0 502 रकबा 0.50 है0 तथा खसरां न. 494 रकबा 2.06 है0 498 रकबा 0.26 है, 499 रकबा 0.19 है0 कुल रकबा 2.51 है0 अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज कर दिया किन्तु खसरा 500 रकबा 0.1 है0 501 रकबा 0.39 है0 व खसरा नं0 502 रकबा 0.50 है0 कुल रकबा 0.90 है0 रकबा अपीलार्थीगण के खाते में सेटलमेंट विभाग द्वारा कम कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नं0 500, 501 व 502 गत खसरा नं0 248 से ही बने हैं तथा इन खसरा नंबरान को अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज करने से कमी रकबे की पूर्ती की जा सकती है। उक्त तथ्य को अपीलार्थीगण द्वारा रिकार्ड से भी साबित कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही कर आलौच्य पारित कर वर्णित किया कि उक्त खसरा नंबरान नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज हो चुके है, इस कारण खातेदारों की भूमि पूर्ति कहां से की जावे यह तथ्य सिद्ध नहीं कर पाये है, जिसके आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय यह मानता है कि प्रार्थीगण की भूमि सिवायचक दर्ज की जाकर नगर विकास न्यास के नाम दर्ज कर दी गई है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नगर विकास न्यास के खाते की उक्त भूमि हटाकर पुनः अपीलार्थीगण के खाते दर्ज करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के गत रकबे के मुकाबले सेटलमेंट विभाग द्वारा 0.90 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है। बिना किसी सक्षम आदेश के गत रकबे के मुकाबले रकबा कम दर्ज किये जाने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः विधि अनुसार कमी रकबे की पूर्ति कराने के अपीलार्थीगण वैधानिक अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे राजस्व रिकार्ड इत्यादि का समुचित परीक्षण किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.7.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि विवादित आराजी के संबध मे तहसीलदार लाड़पुरा से मुताबिक राजस्व रिकार्ड वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड जमाबदी, मिलान क्षेत्रफल आदि का अवलोकन कर रकबा बरारी करते हुये पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित किरे।

7. निर्णय आज दिनांक 19.02..2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीयआयुक्त
कोटा